



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 1, 2010/पौष 11, 1931

No. 1] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 1, 2010/PAUSA 11, 1931

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2010

सा.का.नि. 1(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा 25 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2010 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की अनुसूची-1 में, क्रम संख्या 102 और संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

क्रम सं.	उद्योग	पैरामीटर	मानक
1	2	3	4
“103	काजू बीज प्रसंस्करण उद्योग	क. उत्सर्जन मानक	
		प्रक्रिया	सांद्रण सीमा मि.ग्रा./ नार्मल घन मीटर में
		भूना	250
		विविक्त पदार्थ	
		पकाना (भूने हुये छिलके/ईंधन के रूप में तेल रहित छिलकों की खली)	150
		बोरमा भट्टी तापक (भूने हुये छिलके/ईंधन के रूप में तेल रहित छिलकों की खली)	150
			न्यूनतम (मीटर)
	चिमनी की ऊँचाई	भूना	20
		पकाना	15
		बोरमा भट्टी तापक	15

टिप्पण :

- विविक्त पदार्थ के सभी मानों को 4% कार्बन डायऑक्साइड तक सुधारा जाएगा।
- प्रत्येक चिमनी, भवन, शेड अथवा उद्योग में स्थापित संयंत्र के सर्वोच्च बिंदु से कम से कम 2 मीटर ऊपर होगी।
- ‘डॉग हाउस’ से उत्सर्जन को रोस्टिंग-ड्रम उत्सर्जन के साथ आद्र-मार्जक के माध्यम से उत्सर्जित किया जाएगा।
- यदि इकाई में ईंधन के रूप में भूने हुये छिलकों का प्रयोग होने पर बायो-गैसिफायर प्रतिस्थापित किया जाएगा।

1	2	3	4
			ख. बहिस्त्राव
			सांद्रण सीमा मि.ग्रा./लीटर में, पी एच को छोड़कर
		आंतरिक तल जल	जन मलजल सिंचाई हेतु भूमि
		पी एच	6.5 से 8.5 6.5 से 8.5 6.5 से 8.5
		तेल तथा ग्रीस	10 20 10
		बी ओ डी 3 दिन, 27° C	30 250 100
		विघटित ठोस	100 600 200
		फिनॉल्स	1.0 5.0 -"

[फा. सं. क्यू-15017/23/2008-सी पी डब्ल्यू]

रजनीश दुबे, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, आसाधरण में सं.का.आ.844 (अ), तारीख 19 नवम्बर 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सं.का.आ.433 (अ), तारीख 18 अप्रैल 1987, सं.का.आ. 64 (अ), तारीख 18 जनवरी 1988, सं.का.आ. 3 (अ), तारीख 3 जनवरी 1989, सं.का.आ.190 (अ), तारीख 15 मार्च 1989, सा.का.नि.913 (अ), तारीख 24 अक्टूबर 1989, सं.का.आ.12 (अ), तारीख 8 जनवरी 1990, सा.का.नि. 742 (अ), 30 अगस्त 1990, सं.का.आ. 23 (अ), तारीख 16 जनवरी 1991, सा.का.नि.93 (अ), तारीख 21 फरवरी 1991, सा.का.नि.95 (अ), तारीख 12 फरवरी 1992, सा.का.नि.329 (अ), तारीख 13 मार्च 1992, सा.का.नि.475 (अ), तारीख 5 मई 1992, सा.का.नि.797 (अ), तारीख 1 अक्टूबर 1992 सा.का.नि. 386 (अ), तारीख 28 अप्रैल 1993, सा.का.नि. 422 (अ), तारीख 19 मई 1993, सा.का.नि., 801 (अ), तारीख 31 दिसम्बर 1993, सा.का.नि.176 (अ), तारीख 3 अप्रैल 1996, सा.का.नि., 631 (अ), तारीख 31 अक्टूबर 1997, सा.का.नि., 504 (अ), तारीख 20 अगस्त 1998, सा.का.नि., 7 (अ), तारीख 2 जनवरी 1999, सा.का.नि., 682 (अ), तारीख 5 अक्टूबर 1999, सा.का.नि. 742 (अ), तारीख 25 सितम्बर 2000, सा.का.नि.72 (अ), तारीख 6 फरवरी 2001, सा.का.नि.54 (अ), तारीख 22 जनवरी 2002, सा.का.नि. 371 (अ), तारीख 17 मई 2002, सा.का.नि.489 (अ), तारीख 9 जुलाई 2002 सं.का.आ.1088 (अ), तारीख 11 अक्टूबर 2002, सा.का.नि.849 (अ), तारीख 30 दिसम्बर 2002, सा.का.नि., 520 (अ), तारीख 1 जुलाई 2003, सा.का.नि. 92 (अ), तारीख 29 जनवरी 2004, सा.का.नि.448 (अ), तारीख 12 जुलाई 2004, शुद्धिपत्र सा.का.नि., 520 (अ), तारीख 12 अगस्त 2004, सा.का.नि. 272 (अ), तारीख 5 मई 2005, सा.का.नि.315 (अ), तारीख 16 मई 2005, सा.का.नि.546 (अ), तारीख 30 अगस्त 2005, सा.का.नि.46 (अ), तारीख 3 फरवरी 2006, सा.का.नि.464 (अ), तारीख 7 अगस्त 2006, सा.का.नि.640 (अ), तारीख 16 अक्टूबर 2006, सा.का.नि.566 (अ), तारीख 29 अगस्त 2007, सा.का.नि.704 (अ), तारीख 12 नवम्बर 2007, सा.का.नि.186 (अ), तारीख 18 मार्च 2008, सा.का.नि.280 (अ), तारीख 11 अप्रैल 2008, सा.का.नि. 344 (अ), तारीख 7 मई 2008, सा.का.नि. 414 (अ) तारीख 30 मई 2008, सा.का.नि. 481 (अ) तारीख 26 जून 2008, सा.का.नि. 579(अ), तारीख 6 अगस्त 2008, सा.का.नि. 600 (अ) तारीख 18 अगस्त 2008, सा.का.नि. 752 (अ) तारीख 24 अक्टूबर 2008, सा.का.नि. 97 (अ), तारीख 18 फरवरी 2009; सा.का.नि. 149 (अ), तारीख 4 मार्च, 2009; सा.का.नि. 512 (अ), तारीख 9 जुलाई, 2009; सा.का.नि. 543 (अ), तारीख 22 जुलाई, 2009; सा.का.नि. 595 (अ), तारीख 21 अगस्त, 2009; सा.का.नि. 794 (अ), तारीख 04 नवम्बर 2009; और सा.का.नि. 826 (अ), तारीख 16 नवम्बर, 2009 द्वारा उनका पश्चातवर्ती संशोधन किया गया।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st January, 2010

G.S.R. 1(E).— In exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following Rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely:-

1. (1) These rules may be called the Environment (Protection) Amendment Rules, 2010.

(3) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in Schedule I, after serial number 102 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely :-

S. No.	Industry	Parameter	Standard	
(1)	(2)	(3)	(4)	
"103	Cashew Seed Processing Industry	A- Emission Standards		
			<i>Process</i>	<i>limiting concentration in mg/Nm³</i>
		Particulate matter	Roasting	250
			Cooking (roasted shell/ deoiled cake as fuel)	150
			Borma Oven Heater (roasted shell/ deoiled cake as fuel)	150
		Stack height		<i>minimum (metres)</i>
			Roasting	20
			Cooking	15
			Borma Oven Heater	15
		Note:		
• All values of particulate matter shall be corrected at 4% Carbon Dioxide. • Each stack shall be at least 2 metres above the top most point of the building, shed or plant in the industry. • The emissions from 'Dog-house' shall be channelised alongwith Roasting-drum emissions and shall pass through wet scrubber. • Bio-gasifier shall be installed if roasted shells are used as fuel in the unit.				

1	2	3	4		
		B- Effluent standards			
			<i>Limiting concentration in mg/l, except for pH</i>		
			<i>Inland surface Water</i>	<i>Public sewer</i>	<i>Land For Irrigation</i>
		pH	6.5 to 8.5	6.5 to 8.5	6.5 to 8.5
		Oil & Grease	10	20	10
		BOD _{3 days, 27 °C}	30	250	100
		Suspended Solids	100	600	200
		Phenols	1.0	5.0	- "

[F. No. Q-15017/23/2008-CPW]

RAJNEESH DUBE, Jt. Secy.

Note:—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary vide number S.O. 844 (E), dated the 19th November, 1986 and subsequently amended vide S.O. 433 (E), dated the 18th April, 1987; S.O. 64 (E), dated the 18th January, 1988; S.O. 03 (E), dated the 3rd January, 1989; S.O. 190 (E), dated the 15th March, 1989; G.S.R. 913 (E), dated the 24th October, 1989; S.O. 12 (E), dated the 8th January, 1990; G.S.R. 742 (E), dated the 30th August, 1990; S.O. 23 (E), dated the 16th January, 1991; G.S.R. 93 (E), dated the 21st February, 1991; G.S.R. 95 (E), dated the 12th February, 1992; G.S.R. 329 (E), dated the 13th March, 1992; G.S.R. 475 (E), dated the 5th May, 1992; G.S.R. 797 (E), dated the 1st October, 1992; G.S.R. 386 (E), dated the 28th April, 1993; G.S.R. 422 (E), dated the 19th May, 1993; G.S.R. 801 (E), dated the 31st December, 1993; G.S.R. 176 (E), dated the 3rd April, 1996; G.S.R. 631 (E), dated the 31st October, 1997; G.S.R. 504 (E), dated the 20th August, 1998; G.S.R. 7 (E), dated the 2nd January, 1999; G.S.R. 682 (E), dated the 6th October, 1999; G.S.R. 742 (E), dated the 25th September, 2000; G.S.R. 72 (E), dated the 6th February, 2001; G.S.R. 54 (E), dated the 22nd January, 2002; G.S.R. 371 (E), dated the 17th May, 2002; G.S.R. 489 (E), dated the 9th July, 2002; S.O. 1088 (E), dated the 11th October, 2002; G.S.R. 849 (E), dated the 30th December, 2002; G.S.R. 520 (E), dated the 1st July, 2003; G.S.R. 92 (E), dated the 29th January, 2004; G.S.R. 448 (E), dated the 12th July, 2004; Corrigenda G.S.R. 520 (E), dated the 12th August, 2004; G.S.R. 272 (E), dated the 5th May, 2005; G.S.R. 315 (E), dated the 16th May, 2005; G.S.R. 546 (E), dated the 30th August, 2005; G.S.R. 46 (E), dated the 3rd February, 2006; G.S.R. 464 (E), dated the 7th August, 2006; G.S.R. 640 (E), dated the 16th October, 2006; G.S.R. 566 (E), dated the 29th August, 2007; G.S.R. 704 (E), dated the 12th November, 2007; G.S.R. 186 (E), dated the 18th March, 2008; G.S.R. 280 (E), dated the 11th April 2008; G.S.R. 344 (E), dated the 7th May, 2008; G.S.R. 414 (E), dated the 30th May, 2008; G.S.R. 481 (E), dated the 26th June, 2008; G.S.R. 579 (E), dated the 6th August, 2008; G.S.R. 600 (E), dated the 18th August, 2008; G.S.R. 752 (E), dated the 24th October 2008; G.S.R. 97 (E), dated the 18th February, 2009; G.S.R. 149 (E), dated the 4th March, 2009; G.S.R. 512 (E), dated the 9th July, 2009; G.S.R. 543 (E), dated the 22nd July, 2009; G.S.R. 595 (E), dated the 21st August, 2009; G.S.R. 794 (E), dated the 4th November, 2009; and G.S.R. 826(E), dated the 16th November, 2009.